<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ</u>

पीठासीन अधिकारीः—(**दिव्या**) **RAS**

प्रकरण संख्याः—70/2024

वादपत्र अन्तर्गत धाराः— 53, 88, 188 आर.टी.ए.

1 रिछपाल वल्द श्रवणराम जाति जाट निवासी चक 5 MZW डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2 मनदीप वल्द श्रवण राम जाति जाट निवासी चक 5 MZW डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— वादीगण

बनाम्

1 श्रवणराम वल्द मनीराम जाति जाट निवासी चक 5 MZW डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2 उर्मिला गोदारा पुत्री मनीराम पत्नी राजेन्द्र गोदारा जाति जाट निवासी गांव काशी का बास ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा ।

3 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।

4 तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5 एसबीआई बैंक शाखा सिलवाला खुर्द जरिये शाखा प्रबंधक।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री रामकुमार सहारण — अधिवक्ता वादीगण
2. श्री सुरेन्द्र सिहाग — अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1, 2
3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 3, 4

<u>—:निर्णयः—</u>

दिनांक ....

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण के पिता को वादी के दादा मनीराम की मृत्युपरांत विरास्तन कृषि भूमि प्राप्त हुई। इस कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 का जन्मजात हक व अधिकार है। भूमि का विवरण इस प्रकार से है—
चक 6 आरपी खाता सं. 94/81 प.न. 172/360 मु.न. 25 का किला नं. 15, 16, 17, 24, 25 कुल 1.265 नहरी मय गै.मु. खाला प.न. 173/360 मु.न. 24 का किला नं. 21 ता 25 कुल 1. 240 है. नहरी महाकुल 2.505 है. नहरी मय गै.मु. खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

चक 5 एमजैडब्ल्यू प.ह. 12 डीबीएल खाता सं. 115/104 प.न. 192/363 मु.न. 4 किला नं. 21/2/0.177, 22/1/0.202, 23/2/0.202 अनकमाण्ड कृषि भूमि प.न. 192/364 मु.न. 17 किला नं. 1/1/0.228, 2 व 9 सालम, 10/1/0.228, 11/1/0.228, 12 व 19 सालम 20/1/0.228, 21/1/0.228, 22/0.253 कमाण्ड व अनकमाण्ड कृषि भूमि, प.न. 192/365 मु.न. 24 किला नं. 14, 15/1/0.228, 15/2/0.025, 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 व 24 सालम, 25/1/0.228, 25/2/0.025 कुल 4.504 है. कमाण्ड व अनकमाण्ड मय गै.मु. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है।

यह है कि वाद की दफा 2 में वर्णित भूमि पैतृक होने के कारण वादीगण इस भूमि में अपना 2/4 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के घराघरू विभाजन में चक 6 आरपी की कृषि भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं। प्रतिवादी सं. 2 ने इस कृषि भूमि में कोई हिस्सा लेना तय नहीं किया है व अपने ससुराल में खुशहाल व आबाद है। वादीगण चक 6 आरपी की कृषि भूमि को घराघरू विभाजन के अनुसार पिछले 10 वर्षो से काश्त करते आ रहे है।

यह है कि मुताबिक विभा[illegible]वादी सं. 1 निवेदन किया कि वे उक्त भूमि वादीगण के नाम करवा दे ताकि वादीगण [illegible] कृषि कार्य हेतु ऋण की सुविधा व अन्य सरकारी सहायता उपलब्ध हो सके। परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 20.1.2024 ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। यही वाद का कारण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:13:44 IST
Reason: SelfAttested

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र सिहाग ने वकालतनामा पेश किया। वाद जैरकारी के दौरान वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 2 हाजिर न्यायालय आकर राजीनामा मुताबिक वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया, जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात विरचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया। पक्षकारान उभयपक्ष द्वारा पेश राजीनामा का अवलोकन करने पर न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद या विरोधाभास नहीं है इसलिए वादीगण वाद मुताबिक राजीनामा, स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

अतः वादीगण वाद मुताबिक राजीनामा के **चक 6 आरपी खाता सं. 94/81** में निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री की जाती है किः–

(क) वादी सं. 1 रिछपाल को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरणः–

चक 6 आरपी खाता सं. 94/81 प.न. 172/360 मु.न. 25 का किला नं. 15, 16, 17, 24, 25 कुल 1.265 नहरी मय गै.मु. खाला का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख) वादी सं. 2 मनदीप को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरणः–

चक 6 आरपी खाता सं. 94/81 प.न. 173/360 मु.न. 24 का किला नं. 21 ता 25 कुल 1.240 है. नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का उक्त खाते से नाम कलमजन करने का आदेश दिया जाता है। उक्त दफा (क) (ख) अनुसार खाता अलग अगल कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादी सं. 2 ने राजीनामा में उक्त चक की अपने हक हिस्सा भूमि का का त्याग वादीगण के पक्ष में बहिब कर दिया है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। यदि स्टाम्प ड्यूटी देय बनती हो तो तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर वसूल करें। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– निर्णित आराजी बैंक से रहन मुक्त होने के उपरांत निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:13:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–**(दिव्या)** **RAS**

प्रकरण संख्याः–70 / 2024

1 रिछपाल वल्द श्रवणराम जाति जाट निवासी चक 5 MZW डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2 मनदीप वल्द श्रवण राम जाति जाट निवासी चक 5 MZW डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम्

1 श्रवणराम वल्द मनीराम जाति जाट निवासी चक 5 MZW डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2 उर्मिला गोदारा पुत्री मनीराम पत्नी राजेन्द्र गोदारा जाति जाट निवासी गांव काशी का बास ऐलनाबाद तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा ।
3 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।
4 तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5 एसबीआई बैंक शाखा सिलवाला खुर्द जरिये शाखा प्रबंधक।

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 53, 88, 188 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सहारण वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री सुरेन्द्र सिहाग वकील प्रतिवादी सं. 1, 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व मुताबिक राजीनामा निम्नानुसार डिक्री दी जाती है किः–

(क) वादी सं. 1 रिछपाल को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरणः–

चक 6 आरपी खाता सं. 94 / 81 प.न. 172 / 360 मु.न. 25 का किला नं. 15, 16, 17, 24, 25 कुल 1.265 नहरी मय गै.मु. खाला का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख) वादी सं. 2 मनदीप को विभाजन में प्राप्त कृषि भूमि का विवरणः–

चक 6 आरपी खाता सं. 94 / 81 प.न. 173 / 360 मु.न. 24 का किला नं. 21 ता 25 कुल 1. 240 है. नहरी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का उक्त खाते से नाम कलमजन करने का आदेश दिया जाता है। उक्त दफा (क) (ख) अनुसार खाता अलग अगल कर रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादी सं. 2 ने राजीनामा में उक्त चक की अपने हक हिस्सा भूमि का का त्याग वादीगण के पक्ष में बहिब कर दिया है। यदि स्टाम्प ड्यूटी देय बनती हो तो तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर वसूल करें। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन / न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गै.मु. / गैर खातेदारी / आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा XXX मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

नोटः– डिक्रीत आराजी रहन मुक्त के उपरांत डिक्री का निष्पादन किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.03.30 20:13:44 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) **RAS**
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ